दिनांक— 07.01.2019 को अपर मुख्य सचिव , शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2019—20 से CFMS के क्रियान्वयन से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति— संचिका में संधारित।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2019—20 से लागू होने वाले Comprehensive Financial Management System (CFMS) के संशोधित Office Admin Module के संबंध में संक्षेप में जानकारी दी गयी।

2. नए CFMS प्रणाली में System Admin Module को संशोधित करते हुए Office Admin Module को प्रारंभ किया गया है। बताया गया कि CFMS के Office Admin Module में विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों से संबंधित की गयी प्रविष्टि में एकरूपता का अभाव है तथा प्रविष्टि की गयी डाटा (आँकड़े) त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण हैं। TCS द्वारा System Admin Data को नए Office Admin Module में Migrate किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष बचे कार्यालयों, जिसकी प्रविष्टि CFMS में नहीं की गयी है, उसके Data की प्रविष्टि भी नए Office Admin Module में किया जाना है।

3. इस प्रकार, CFMS के नए Office Admin Module में कार्यालय प्रधान (Head of Office) का कार्यालय सृजित किया जाना है। इस कार्यालय से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की भूमिका मात्र उनसे संबंधित बजट विपत्रों के Approver के रूप में रहेगी। जबकि Employee Management, Approvel of Sanctions Countersigning आदि Modules में Head of Office (HoO) प्रमुख भूमिका निभाऐंगे।

4. नए CFMS के Admin Module में चार स्तर के Admin के कार्यालयों का क्रम तय किया गया है—

I.	Level 1 Offices	–	विभाग के समकक्ष कार्यालय
II.	Level 2 Offices	–	निदेशालय के समकक्ष कार्यालय
III.	Level 3 Offices	–	क्षेत्रीय नियंत्री कार्यालय जैसे— जिला शिक्षा कार्यालय
IV.	Level 4 Offices	–	अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जो प्राप्त आवंटन का मात्र उपयोग करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2019—20 से लागू होने वाले CFMS में शिक्षा विभाग में Level – 1 के रूप में Education Department का कार्यालय सृजित किया जा चुका है, जिसके Office Admin के रूप में श्री गिरिवर दयाल सिंह, अपर सचिव को नामित किया गया है।

6. Level – 2 कार्यालय के रूप में सभी निदेशालयों का कार्यालय सृजित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि पूर्व में ही सभी निदेशालयों के कार्यालय सृजित हैं, अतः निदेश दिया गया कि उन्हें Verified करके Update कर लिया जाए। मुख्यालय स्तर पर जितने निदेशालय सृजित थे, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालय भी सृजित थे। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के सृजित कार्यालयों को Inactive करते हुए निदेशालयों

के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनसे संबंधित निदेशालयों के बजट विपत्र का Approver नामित किया जाए।

(अनुपालन– CFMS कोषांग)

7. निदेशालय स्तर के पश्चात् प्रमंडल स्तरीय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के कार्यालयों को Level – 3 का कार्यालय सृजित करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– CFMS कोषांग)

8. जिला स्तरीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को भी Level – 3 का कार्यालय सृजित करने का निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को उनके कार्यालय के Office Admin Module में Head of Office (HoO) बनाया जाए, जो अपने कार्यालय (जिला शिक्षा कार्यालय) से जुड़े Employee Management, में स्वयं Approver रहेंगे।

(अनुपालन– CFMS कोषांग)

9. जिला स्तर, प्रखंड स्तर एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी पुराने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को जिला शिक्षा कार्यालय के साथ Tag करने का निर्णय लिया गया। नए CFMS के Office Admin Module में किसी बजट विपत्र कोड विशेष के Approver के रूप में किसी भी पदाधिकारी को नामित करने का अधिकार कार्यालय प्रधान (HoO) को दिया गया है।

(अनुपालन– CFMS कोषांग)

10. पूर्व में CFMS के दौरान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालयों के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) का कार्यालय सृजित किया गया था। नए Office Admin Module में चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के अन्तर्गत ही उक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का CTMIS DDO Code भी जुड़ जायेगा, अतः पूर्व में सृजित इन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों की अब कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः इनके कार्यालयों को Delete करने का निर्णय लिया गया। नए Office Admin Module के अन्तर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी (जो कि Head of Office हैं) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को उनसे संबंधित बजट विपत्र कोडों के Approver के रूप में नामित करेंगे।

11. पूर्व में विभागीय अधिसूचना– 99, दिनांक– 09.04.2018 द्वारा शिक्षा विभाग अन्तर्गत निकसी एवं व्ययन पदाधिकारियों की संख्या सीमित की गयी थी। इसके द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के नियमित शिक्षकों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतनादि मद से संबंधित बजट विपत्र कोडों तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के लाभुक आधारित योजनाओं के बजट विपत्र कोडों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया गया था। जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा को अपने जिले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित सभी लाभुक आधारित योजनाओं के बजट विपत्र कोडों के अलावा माध्यमिक

एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के केवल नियमित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि मद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया गया था।

12. नए CFMS प्रणाली हेतु सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना अपने जिले में स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों, सभी प्रकार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित एवं नियमित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि से संबंधित बजट विपत्र कोडों के Approver के रूप में नामित किए जाएँगे। जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा जिले में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों की सभी प्रकार की लाभुक आधारित योजनाओं के बजट विपत्र कोडों के Approver के रूप में नामित किए जाएँगे।

(अनुपालन– निदेशक, प्रशासन)

13. विभागीय अधिसूचना – 99, दिनांक – 09.04.2018 के द्वारा ही सभी जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को अपने तथा जिले के अन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यथा – PTEC, BITE तथा CTE का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया गया था। नए CFMS में कार्यालय एवं उसके प्रधान (Head of Office) की प्रमुख भूमिका होने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी प्रकार के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DITE, PTEC, CTE एवं BITE) का कार्यालय CFMS के Office Admin module के अन्तर्गत सृजित किया जाए, जिसका HoO एवं Approver उस संस्थान के प्राचार्य रहेंगे। इन संस्थानों के CTMIS DDO Code को इनके निर्मित Office के साथ Tag करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– निदेशक, प्रशासन)

14. उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित वैसे सभी प्रकार के संस्थानों जिन्हें पूर्व से CTMIS DDO Code आवंटित है, उनके कार्यालय पूर्व में ही CFMS के अन्तर्गत सृजित किए जा चुके थे। निदेश दिया गया कि इन कार्यालयों को Update कर लिया जाए।

(अनुपालन– CFMS कोषांग)

15. इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर वैसे सभी कार्यालयों जिनका CTMIS DDO Code निर्गत है, उनका कार्यालय CFMS के अन्तर्गत सृजित कर लेने और उसे संशोधित एवं Update कर लेने का निदेश दिया गया। (अनुपालन– CFMS कोषांग)

16. CFMS में अन्तर्गत विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के साथ Tag पदाधिकारियों/कर्मियों के Details भी अद्यतन किए जाने हैं। इसके लिए जिला स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर सभी कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा Form-2A भरा जाना है। चूंकि जिला स्तर पर वेतन भुगतान से संबंधित सभी कर्मियों/पदाधिकारियों के आँकड़ों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के कार्यालय द्वारा अद्यतन किया जाना है। यह कार्य Employee Maintenance Module के अन्तर्गत किया जाना है। चूंकि इसमें किसी भी Employee का विवरण अद्यतन करते समय अत्यन्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि

Employee Maintenance Module में Checker का Role जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को एवं Approver का Role जिला शिक्षा पदाधिकारी को Assign किया जाए। विभाग के अन्य कार्यालयों में कार्यालय प्रधान ही उसके Employee Maintenance Module के Approver रहेंगे।

17. जिलों में CFMS के संचालन हेतु एवं इसके लिए विभिन्न कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में आधुनिक कम्प्यूटर सेट एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स की आवश्यकता जतायी गयी। जिलों को उनके यहाँ पदाधिकारियों/कर्मचारियों/लाभुकों की संख्या के आधार पर तीन वर्गों (वृहत, मध्यम और लघु जिले) में वर्गीकृत किया जाय एवं इसके आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा के कार्यालयों को पर्याप्त मात्रा आधुनिक कम्प्यूटर सेट एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स उपलब्ध कराये जाये। इसके अलावा क्षेत्रिय शिक्षा उप निदेशक, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, जिला में अवस्थित शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों एवं मुख्यालय के स्थापना कार्यालयों को भी पर्याप्त मात्रा आधुनिक कम्प्यूटर सेट एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स उपलब्ध कराये जाये। इसके लिए निदेश दिया गया कि वित्त विभाग से उपस्कर मद के अन्तर्गत कम्प्यूटर सेट की खरीददारी हेतु एवं व्यावसायिक सेवायें मद के अन्तर्गत कम्प्यूटर्स के संचालन हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स रखने हेतु राशि की मांग की जाए।

(अनुपालन– बजट पदाधिकारी)

18. विभाग में जिला स्तर पर आँकड़ों एवं रिपोर्ट्स की अधिकता को देखते हुए एवं CFMS में कम्प्यूटर आधारित कार्यों की अधिकता को देखते हुए, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन एक डाटा एनालिस्ट की मांग करने का निदेश दिया गया। उक्त डाटा एनालिस्ट पर होने वाले व्यय की गणना करते हुए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने हेतु बजट पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनुपालन– निदेशक, प्रशासन एवं बजट पदाधिकारी)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(आर.के. महाजन)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 18/नि॰ 01-06/2018_621 पटना,दिनांकः– 22/2/19

प्रतिलिपिः– सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/निदेशक, राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना/निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान/निदेशक, मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं संस्कृत शोध संस्थान, दरभंगा/निदेशक, अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, पटना/ निदेशक, प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली/निदेशक, के०पी०

जायसवाल शोध संस्थान, पटना/निदेशक, प्रक्षेत्रीय अभिलेख पर्यालोचन समिति, पटना/Rural Institute of Higher Studies, (बिरौली) समस्तीपुर/चेयरमैन, सरकारी ऊर्दू लाइब्रेरी, पटना/प्राचार्य, मदरसा इस्लामिया शम्सूल होदा, पटना/प्राचार्य, सरकारी महिला कॉलेज, गर्दनीबाग/प्राचार्य, सरकारी महिला कॉलेज, गुलजारबाग/सहायक निदेशक, संस्कृत बोर्ड/निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी रिसर्च सेन्टर, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, CTE/DiET/PTEC/BITE/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा/ बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/CFMS कोषांग, शिक्षा विभाग/आई॰टी॰ मैनेजर शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/- 21/2/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
डिपार्टमेन्ट ऑफिस एडमिन,
CFMS–सह–अपर सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–18/वि॰01-06/2018 - 621 पटना, दिनांकः–22/2/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/- 21/2/19

डिपार्टमेन्ट ऑफिस एडमिन,
CFMS–सह–अपर सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।